

परियोजना का नाम:- जनपद-देहरादून में आयुध विहार (अपर गढ़वाली कालोनी) ग्राम पंचायत लाड़पुर अन्तर्गत उर्ध्वजलाशय के निर्माण हेतु वांछित कुल 0.075 है० (आरक्षित) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उत्तराखण्ड जल संस्थान को 30 वर्षों की लीज पर प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

एन०पी०वी० की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.08 एवं 9.5.2008 के अनुसार)

"प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (आरक्षित वन भूमि - 0.075 है० तथा सिविल सोयम वन भूमि-0.000 है० कुल 0.075 है०, मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत) मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.3.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है"।

प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु अपेक्षित वन क्षेत्र का घनत्व वर्तमान कार्ययोजना के अनुसार 0.4 है। प्रस्तावित पेयजल योजना के समरेखण को कोई वृक्ष अवस्थित एवं बाधित न होने की दशा में प्रस्तावित स्थल के घनत्व को घनत्व 0.1 आंका गया है। जिस हेतु एन०पी०वी० की प्रति हैक्टर दर रू० 6,57,000=०० (रू० छः लाख सत्तावन हजार) मात्र है। उक्त दर के अनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आगणन रू० 49,275=०० (रू० उनपचास हजार दो सौ पचहतर मात्र) किया गया है। जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी